International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science
ISSN: 2349-2819
Email: editor@ijarets.org Volume-10, Issue-5 May – 2023 www.ijarets.org

सामाजिक न्याय की अवधारणा : गाँधी एवं जॉन राल्स में एक तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Babu Lal Meena
Professor in Pol Science
S P C Govt College Ajmer

सार

न्याय, जो एक व्यापक शब्द है जिसके अलग-अलग अर्थ हैं। न्याय शब्द को समाज के किसी भी संदर्भ में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ ही धार्मिक रूप से फिट किया जा सकता है। दार्शनिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में तीन चीजें सार्थक हैं और उनमें से कोई भी सम्मोहक तरीके से परिभाषित नहीं है। वे सत्य, सौंदर्य और न्याय हैं। सभ्यता की शुरुआत के बाद से, किसी ने भी न्याय की सही परिभाषा नहीं दी है। यह एक गतिशील है; सर्वव्यापी और सामान्य शब्द. विभिन्न दार्शनिक, विद्वान और अभ्यासकर्ता इसे अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग संदर्भ में परिभाषित करते हैं। न्याय के गांधीवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाएगा और न्याय के विचार से प्रासंगिक अन्य सिद्धांतों के साथ तुलना की जाएगी।

मुख्य शब्द: न्याय, गाँधी, राल्स

परिचय

यह पेपर सरल तरीकों से यह समझने की कोशिश करता है कि विभिन्न सिद्धांतों में क्या न्याय प्रचलित है। न्याय शब्द समकालीन विश्व में एक नारा बन गया है। गौरतलब है, साल 2019 में दुनिया के बीस से ज्यादा देश ऐसे थे, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और किसी न किसी तरीके से न्याय की मांग की जा रही है. इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति में, न्याय किसी न किसी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि हम न्याय के कुछ संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर चर्चा शुरू करें, न्याय की परिभाषा को संक्षेप में समझाना आवश्यक है [1]। न्याय शब्द 'न्यायपूर्ण या सही या उचित' होने की गुणवत्ता का सुझाव देता है। यह उसका विरोध करता है जो अन्यायपूर्ण, गलत या अनुचित है। अब न्यायसंगत, सही और उचित प्राथमिक नैतिक गुण हैं। इसलिए न्याय मुख्य रूप से नैतिकता की अवधारणा है; यह एक नैतिक अवधारणा है. नैतिकता शाश्वत सत्य को समझने का दिखावा कर सकती है; इससे आदर्शवादी सिद्धांत का विकास हुआ जिसने पारंपरिक रूप से नैतिक दर्शन के क्षेत्र में लगभग एकाधिकार का दावा किया है। हालाँकि, इस मिथक को आधुनिक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत ने तोड़ दिया है। नैतिकता को अब आत्मा या चरित्र के कुछ रहस्यमय गुणों को कुछ समान रूप से रहस्यमय, श्रेष्ठ, अंतर्निहित, पारलौकिक अस्तित्व के साथ समायोजित करने की समस्या के रूप में नहीं माना जाता है। इसे ठोस संबंधों की समस्या से निपटना चाहिए और आम आदमी के लिए उसके रोजमर्रा के अस्तित्व में खुद को सार्थक साबित करना चाहिए; एक शब्द में, इसे किसी कथित अलौकिक घटना के बजाय सामाजिक वास्तविकता में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए [1]। एक नैतिक अवधारणा के रूप में न्याय एक गतिशील विचार भी है। हम मान सकते हैं कि न्याय एक आदर्श का प्रतीक है; यह पूर्णता का प्रतीक है; यह पूर्ण सत्य में प्रतिबिंबित होता है, फिर भी यह एक गतिशील विचार है क्योंकि उस आदर्श की हमारी प्राप्ति और उस पूर्ण सत्य की हमारी समझ एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में हमारी प्रगति हमारी सामाजिक चेतना के विकास पर निर्भर करती है ताकि जो कुछ शताब्दियों पहले माना जाता था वह आज न हो। प्राचीन और मध्ययुगीन यूरोप में दासता

और दास प्रथा को व्यापक रूप से उचित ठहराया गया था; कुछ दशक पहले भारत में भी अस्पृश्यता को इसी तरह उचित ठहराया गया था; बहुत पहले ही दुनिया भर में महिलाओं की निम्न स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया था; हाल तक दुनिया के कुछ हिस्सों में नस्लीय भेदभाव को उचित ठहराया गया था। लेकिन इन स्थितियों को अब व्यापक रूप से अन्यायपूर्ण माना जाता है [2]। न्याय हमेशा दार्शनिकों और आम लोगों के लिए एक दिलचस्प विषय रहा है। न्याय को संक्षेप में लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

द्वितीय. न्याय की परिभाषाएँ

दार्शनिकों ने न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया क्योंकि न्याय हमेशा उनके लिए एक दिलचस्प विषय रहा है।

1. ग्रीक तर्कशास्त्री प्लेटो ने तर्क दिया कि इक्विटी शब्द व्यक्तिगत आत्मा और राज्य दोनों के घटकों की एक प्रकार की सौहार्दपूर्णता या समानता के रूप में प्रदर्शित होता है। आत्मा के प्रत्येक टुकड़े की अपनी विशिष्ट और उपयुक्त क्षमता होती है। आत्मा या स्थिति की असमानता एक वर्ग द्वारा दूसरे पर शासन करने में पाई जाती है, जहां निर्णय उस हिस्से की विशिष्ट क्षमता या ईमानदारी नहीं होती है। समता की प्राप्ति तीनों आचारों (अंतर्दृष्टि, मानसिक दृढ़ता और संयम) को ध्यान में रखकर की जा सकती है। प्लेटो के लिए, समानता व्यक्ति या शहर के युद्धरत टुकड़ों के बीच एक वैध सौहार्दपूर्ण संबंध है। दूसरे शब्दों में, इसे कार्यात्मक विशेषज्ञता कहा जा सकता है। इस प्रकार, जो अपना है वही करना और करना ही न्याय है [3]।

2. प्लेटो के अनुयायी अरस्तू ने न्याय को अस्पष्ट ढंग से परिभाषित किया। उनके लिए, न्याय राज्य का सार है और कोई भी राज्य व्यवस्था लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती जब तक कि वह न्याय की सही योजना पर आधारित न हो। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए अरस्तू न्याय के अपने सिद्धांत को सामने रखना चाहता है। उन्होंने तर्क दिया कि न्याय राज्य को एक उद्देश्य और व्यक्ति को एक उद्देश्य प्रदान करता है। उनके प्रसिद्ध तर्क में न्याय के कुछ तत्व शामिल हैं जब उन्होंने कहा था: "उस बिंदु पर जब एक आदर्श व्यक्ति सबसे अच्छा प्राणी होता है, हालांकि जब कानून और समानता से अलग किया जाता है, तो वह सबसे खराब होता है"। न्याय गुण है, पूर्ण गुण है और सभी अच्छाइयों का अवतार है। न्याय राज्य का सबसे बड़ा गुण है। अरस्तू के लिए असमानता तब उत्पन्न हुई, जब समान लोगों के साथ असमान और असमान रूप से समान व्यवहार किया गया। इसने इस विश्वास को स्वीकार किया कि व्यक्ति रुचियों, क्षमताओं और उपलब्धियों में भिन्न होते हैं [3]।

3. सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा, न्याय हर एक अच्छी उत्कृष्टता में सबसे उल्लेखनीय है। यह बाहरी गतिविधियों के बारे में चिंतित है और दूसरों को प्रबंधित करने के हमारे प्रत्येक भाग की इच्छा या प्रबंधन में पाया जाता है। अत: न्याय शब्द की उत्पत्ति न्याय शब्द से हुई है जिसका अर्थ है उचित, उचित और निष्पक्ष। निष्पक्षता शब्द को न्याय शब्द का सबसे उपयुक्त समकक्ष माना जाता है। इस प्रकार, अक्सर दोनों शब्दों का उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। निष्पक्षता की अवधारणा निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार पर आधारित है। इस प्रकार, न्याय को दयालुता, दान और दयालुता से अलग किया जाना चाहिए [4]।

न्याय के सिद्धांत

न्याय के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य लोगों को खुश और संतुष्ट करने के लिए न्यायसंगत आधार पर बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के उनके वैध हिस्से को प्रदान करना है। न्याय के बहुत सारे सिद्धांत हैं और हम उन्हें एक–एक करके समझाते हैं।

उपयोगितावादी सिद्धांत

उपयोगितावादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह किसी भी कार्य को न्यायसंगत कार्य मानता है, जिससे समाज में अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी मिलती है। हालाँकि, सिद्धांत अधिकतम लाभ या खुशी के सिद्धांत के संदर्भ में मानवीय कार्यों की सही या गलत का आकलन करता है। हालाँकि, यह उस कार्रवाई के अल्पसंख्यकों पर प्रभाव पर विचार नहीं करता है। अत: यह सिद्धांत कई मामलों में उचित प्रतीत नहीं होता। उपयोगितावादी सिद्धांत अधिकांश लोगों की भलाई को ध्यान में रखता है, लेकिन सभी लोगों को नहीं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी कार्य की लागत से लाभ अधिक है तो वह कार्य उचित है। उपयोगितावादी समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं और संपत्तिहीन लोगों के लिए मताधिकार, अधीनता को ख़त्म करने को बढ़ावा दिया। उपयोगितावादियों ने तर्क दिया कि बदमाशों को बदल दिया जाना चाहिए, न कि केवल फटकार लगाई जानी चाहिए (इस तथ्य के बावजूद कि मिल ने बाधा के रूप में मृत्युदंड का समर्थन किया था)। जबकि, बेंथम प्राणियों के प्रति क्रूरता के विरोध में खड़े थे [5]। समर्थकों ने इस बात पर जोर दिया कि उपयोगितावाद एक समतावादी सिद्धांत था। हर किसी की ख़ुशी समान रूप से मायने रखती है।

न्याय का समतावादी सिद्धांत

यह सिद्धांत बोझ और लाभ के वितरण के मामले में समानता पर आधारित है। यह वितरणात्मक न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत पूर्ण समानता को महत्व देता प्रतीत होता है। यह जवाबदेही, प्रयास और आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखता है। इस प्रकार, इस सिद्धांत के अनुसार, अमीर और गरीब को समान लाभ मिलेगा और समान बलिदान करना होगा। इस सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। पहला, चूँकि मनुष्य समान नहीं हैं, इसलिए कहा जाता है कि समानता का सिद्धांत कोई न्यायसंगत सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में बुद्धिमान, अधिक सक्षम और शिक्षित होते हैं। दूसरा, बड़े परिवारों, आय के अपर्याप्त स्रोत और शीघ्रता के कारण कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में सामाजिक वस्तुओं की अधिक आवश्यकता हो सकती है। समतावादी के अनुसार, न्याय केवल समानता के निर्देशांक के भीतर ही मौजूद हो सकता है। आवश्यक दृष्टिकोण को बहुत अलग तरीके से समझाया जा सकता है। जिस प्रकार का माल लोगों, परिवारों, देशों, नस्लों और प्रजातियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। नियमित रूप से आयोजित लोकलुभावन पदों में अवसर के न्याय और परिणाम की एकरूपता के अनुरोध शामिल होते हैं। व्यापक रूप से उल्लेखनीय समतावादी दर्शनों में समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, वाम–स्वतंत्रतावाद और प्रगतिवाद हैं। कई समतावादी विचारों को बुद्धिजीवियों और कई देशों की सामान्य आबादी के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त है। गांधी यंग इंडी (1927) में लिखते हैं कि मेरा आदर्श समान वितरण है, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, यह साकार नहीं हो सकता है, इसलिए, मैं समान वितरण के लिए काम करता हूं [6]। हालाँकि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समान राजनीतिक अधिकार और अवसर मिलने चाहिए और सभी को कुछ न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए।

न्याय का पूंजीवादी सिद्धांत

न्याय के पूंजीवादी सिद्धांत का मूल सिद्धांत यह है कि हर किसी को उसके योगदान के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार, जिस श्रमिक की उत्पादकता अधिक है उसे उस श्रमिक की तुलना में अधिक मजदूरी मिलेगी जिसकी उत्पादकता कम है। पूंजीवादी न्याय असमानता का पक्षधर है क्योंकि असमानता भिन्न-भिन्न योगदान की ओर ले जाती है। इस प्रकार, अधिक प्रतिभा, अधिक अनुभव, अधिक योग्यता वाला व्यक्ति जल्द ही पूंजीपतियों के मुनाफे में अधिक योगदान करने में सक्षम होगा। यह मानता है कि मनुष्य मूलतः असमान हैं। अतः न्याय चाहता है कि असमानता को उचित पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया जाये। पूंजीवादी सिद्धांत की आलोचना ऐसे आधारों पर की जाती है, सबसे पहले, न्याय के पूंजीवादी सिद्धांत के खिलाफ अक्सर एक आलोचना की जाती है कि यह लोगों की जरूरतों पर विचार नहीं करता है और कम अवसर वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूरी तरह से उपेक्षा करता है। योगदान का सिद्धांत सामाजिक रूप से वंचित या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के मामलों पर विचार नहीं करता है। दूसरा, उत्पादकता के बाजार मूल्यांकन की प्रथा स्वयं अपूर्ण या अपूर्ण है, क्योंकि बाजार की कीमतें अक्सर कई कारकों से विकृत होती हैं [7]।

न्याय का मार्क्सवादी सिद्धांत

मार्क्स (1867) का विचार था कि केवल साम्यवाद की स्थापना ही श्रमिकों को आवश्यकता-आधारित वेतन भुगतान की गारंटी दे सकती है। इस प्रकार, मार्क्स के लिए साम्यवाद केवल एक आर्थिक व्यवस्था है। श्रमिक वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता क्योंकि पूंजीवाद के तहत, कानूनी प्रणाली और राज्य सहित सभी संस्थाएं पूंजीवाद समर्थक उपकरण हैं। मार्क्स के अनुसार न्याय के लिए आवश्यक है कि वेतन प्रणाली आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। इस व्यवस्था को गांधीजी ने भी स्वीकार किया था। जरूरतों में न केवल व्यक्तिगत जरूरतें बल्कि मनुष्य की सामाजिक जरूरतें भी शामिल होनी चाहिए। यह लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया है कि जरूरतों को श्रमिक वर्ग के लिए उचित जीवन स्तर पर विचार करना चाहिए। मार्क्स न्याय के सिद्धांत के आधार के रूप में असमानताओं को प्रोत्साहित करने के पूंजीवादी विचार के बहुत आलोचक रहे हैं। मार्क्स ने एक-एक करके कई उदाहरण दिये हैं [1]

अधिशेष मूल्य: एक पूंजीपति किसी मजदूर को उसके श्रम की उत्पादकता के अनुसार भुगतान नहीं करता है। पूंजीपति के अधीन मज़दूरी हमेशा श्रम की उत्पादकता से कम होती है। प्रत्येक श्रमिक एक अधिशेष मूल्य बनाता है जो श्रम की कुल उत्पादकता घटाकर उसे दी गई मजदूरी के बराबर होता है। यह अधिशेष मूल्य जितना अधिक होगा, शोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

पूंजी संचय: पूंजीवाद पूंजी संचय के आधार पर जीवित रहता है जिससे पूंजी का केंद्रीकरण और पूंजी का संकेंद्रण होता है। पूंजी का संकेंद्रण पूंजी को गहरा करने की एक प्रक्रिया है जहां प्रति श्रमिक पूंजी बढ़ाई जाती है, या उत्पादन की एक विशेष तकनीक को अधिक पूंजी-सघन बनाया जाता है। पूंजी संचय के इन दो रूपों के विकास से एकाधिकार पूंजीवाद का विकास होता है

श्रम की आरक्षित सेना: यह समूह पूंजी संचय द्वारा बनाया जाता है जिससे श्रमिक वर्ग की गरीबी बढ़ जाती है। पूँजी संचय से श्रमिक वर्ग की स्थिति में पूर्णतः गिरावट आती है। पूंजीवाद के तहत श्रमिक न केवल शारीरिक गरीबी से पीड़ित हैं, बल्कि सामाजिक गरीबी से भी पीड़ित हैं, जिसका अर्थ मजदूरी के बीच विसंगति, उपभोग में असमानता, अवसरों में असमानता और संसाधन बंदोबस्ती में भी है। लोगों को इतिहास की विभिन्न कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है: मानव श्रम का परिणाम उद्योगपति द्वारा अधिशेष को हटा देना है।

यहां दो महत्वपूर्ण क़ानून हैं: उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य। उदाहरण के लिए, शाम के समय आराम करने के लिए एक घर की आवश्यकता और एक विशेष प्रकार के घर की लालसा को पूरा करना एक निश्चित बात है। इसका आंतरिक भौतिक मूल्य है। फिर भी, व्यापार सम्मान उस घर के मूल्य को बढ़ाता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शामिल और हटाया जाता है। व्यापार सम्मान एक बाज़ार ढांचे का परिणाम है जो इस रणनीति द्वारा पूंजी एकत्र करता है। इस उपकरण की सहायता से, जब कुछ समय बाद विश्व स्तर पर विस्तार किया गया, तो वास्तव में, एक जोड़े के हाथों में धन इकट्ठा करने की दिशा में आगे बढ़ने की पेशकश की गई। दो-चार हाथों में धन दुरुपयोग का साधन है। यह अतृप्ति, प्रतिद्वंद्विता और निजी संपत्ति की स्थितियाँ बनाता है। यह ऐसी स्थितियाँ बनाता है जहाँ एक विशेषज्ञ को उसके काम के उत्पादों से निष्कासित कर दिया जाता है। मार्क्सवादी अर्थ में अलगाव, कोई उत्साही परिप्रेक्ष्य नहीं है। यह मजदूरों को उनकी कड़ी मेहनत के पुरस्कार से वंचित करना है। वास्तविक शब्दों में, मार्क्स ने जिसे "पीढ़ी के संबंध" कहा है, उससे अलगाव को बल मिलता है। "उत्पादन के संबंध"। उत्पादन के संबंध लोगों और भौतिक चीज़ों जैसे संपत्ति, मशीनरी या संगठनों के बीच मौजूद होते हैं। नैतिकता, सख्त घोषणाएं, संस्कृति या वैधानिकताएं जो सृष्टि के संबंध को निर्देशित करती हैं, मार्क्स उन्हें "समाज की अधिरचना" मानते हैं [8]

गांधी यह भी मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था एक अन्याय है, स्वतंत्रता और आजादी की कमी है, मानवाधिकारों का हनन है इत्यादि। पूंजीवाद श्रमिकों के अलगाव की ओर ले जाता है। यह अलगाव कई रूप लेता है जैसे समाज से अलगाव, परिवार से अलगाव, श्रमिकों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अलगाव, अधिकारों और स्वतंत्रता से अलगाव और स्वयं से अलगाव। इन अलगावों के संदर्भ में पूंजीवाद को एक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। मार्क्स ने दिखाया है कि पूंजीवाद के तहत, श्रम शक्ति को एक वस्तु माना जाता है। पूंजीवाद श्रम शक्ति के अमानवीयकरण की ओर ले जाता है। पूंजीपति मजदूरों का शोषण उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर करता है, न कि उसकी श्रेष्ठ क्षमता के आधार पर। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद के तहत सरकार या राज्य तटस्थ नहीं है; यह हमेशा पूंजीपति वर्ग के पक्ष में काम करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में राज्य से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती.

न्याय का समाजवादी सिद्धांत

समाजवाद मनुष्य के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान की समानता के विचार पर आधारित है। समाजवाद साम्यवाद का पहला या निचला चरण है। इस प्रणाली में, वितरण का आदर्श रूप होगा: प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। समाजवाद वर्ग संघर्षों के उन्मूलन के लिए खड़ा है। समाजवादी उत्पादन अधिकतम सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय के विचार पर आधारित है। यह यथासंभव उत्पादन के क्षेत्र में समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। समाजवाद के उच्च चरण के दौरान वर्ग भेद को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से मिटा दिया गया। एक के द्वारा दूसरे का शोषण नहीं होता। सामाजिक संपत्तियाँ राज्य, सामूहिक फर्मों और सहकारी समितियों के पास होती हैं। उत्पादन लोगों द्वारा और लोगों के अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। सभी लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं और श्रम का सामाजिककरण होता है। अधिशेष उत्पाद का उपयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है। समाजवाद के अंतर्गत राज्य की संस्था अत्यंत आवश्यक है। राज्य उत्पादन के साधनों का स्वामी है। यह उत्पादन, वितरण और विनिमय का आयोजन करके लोगों के हितों की देखभाल करता है। समाजवाद के तहत राज्य किसी विशेष वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेकिन समाज को आवश्यकताओं के दायरे से स्वतंत्रता और न्याय के दायरे में बदलने का वादा करता है। यह लोगों की वस्तुओं

और सेवाओं के सामाजिक स्टॉक में योगदान करने की क्षमता पर अधिक जोर देता है, और वितरण लोगों की जरूरतों पर आधारित होता है।

जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत

एक समकालीन अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपने मौलिक कार्य ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में तर्क दिया है कि एक सभ्य समाज का वर्णन विभिन्न संयमों द्वारा किया जाता है। न्याय एक सभ्य समाज की मुख्य उत्कृष्टता है। जो व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि समानता को सामाजिक प्रगति और प्रगति के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वे समाज के नैतिक पतन का जोखिम उठाते हैं। उन्होंने उपयोगितावाद पर प्रहार किया है। रॉल्स मूल रूप से न्याय के दिशानिर्देश को चित्रित करने के बारे में चिंतित हैं जो एक आदर्श समाज को निर्देशित करेगा, न कि यह दर्शाने के बजाय कि किस प्रकार समानता एक अनुचित समाज पर वापस आ सकती है। सामाजिक अनुबंध की परंपरा में, रॉल्स ने व्यक्तियों को उनकी विशेष सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग करके एक मूल स्थिति की भविष्यवाणी की है। व्यक्ति को प्रतीकात्मक रूप से अज्ञानता के पर्दे के पीछे रखा गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी समाज में अपना स्थान, वर्ग स्थिति या सामाजिक स्थिति, प्राकृतिक संपत्तियों और क्षमताओं के वितरण में भाग्य, बुद्धि, ताकत, अच्छे और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की अवधारणा को नहीं जानता है।

रॉल्स के लिए, न्याय मामलों के तीन सिद्धांत हैं:

- समान स्वतंत्रता का सिद्धांत: प्रत्येक व्यक्ति के पास समान आवश्यक स्वतंत्रता की पूरी तरह से वकालत करने वाली योजना के लिए समान अपरिहार्य मामला है जो योजना सभी के लिए स्वतंत्रता की समान योजना के साथ अच्छी है।
- अवसर की उचित समानता: ये अवसर की उचित समानता की शर्त के तहत सभी के लिए खुले कार्यालयों और संपत्तियों से जुड़े होंगे।
- अंतर सिद्धांत: समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सबसे बड़ा लाभ होना है।

इन सिद्धांतों को उनकी शाब्दिक प्राथमिकता के क्रम में यहां सूचीबद्ध किया गया है। उनके लिए इसका मतलब यह है कि अगले सिद्धांत को लागू करने से पहले पहले सिद्धांत को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसका मतलब है कि "स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है" और आय और धन के लिए नहीं कहा जा सकता है [9]।

उदारवादी सिद्धांत

स्वतंत्रतावादी सोच के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावक रॉबर्ट नोज़िक (1974) हैं। उन्होंने न्याय का एक हकदारी सिद्धांत विकसित किया, न्याय का एक मुक्तिवादी सिद्धांत जो व्यक्तिगत अहस्तांतरणीय अधिकारों पर केंद्रित है। इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अर्जित न्याय से है। नोज़िक के पात्रता सिद्धांत में तीन तत्व हैं (ए) अधिग्रहण (बी) स्थानांतरण (सी) सुधार [6]। नोज़िक ने इक्विटी की परिकल्पनाओं की एक टाइपोलॉजी विकसित की है जहां वह पुराने और अनैतिहासिक, उदाहरण के तौर पर वितरणात्मक इक्विटी के मानकों और गैर-पेटेंट मानकों को पहचानता है। उनके अनुसार, अमीरों से गरीबों को आय या धन का हस्तांतरण कई कारणों से अन्यायपूर्ण है। नोज़िक एक परिणाम-विरोधी है। उनके अनुसार, केवल वही प्रक्रियाएँ होती हैं जहाँ विनिमय स्वैच्छिक होता है।

उनका विचार है कि अतीत में अन्याय के कई मामले हुए हैं और इसलिए, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कोई ऐसा तंत्र ढूंढे जिसके माध्यम से अतीत के गलत कार्यों को पूर्ववत किया जा सके। नोज़िक के अनुसार, लाभ और बोझ का कोई भी उचित वितरण व्यक्ति की स्वतंत्र पसंद पर विचार करेगा। नोज़िक के लिए न्याय का अर्थ स्वतंत्रता है। इसलिए, किसी भी नियम या नीति को लागू करना जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है, अन्यायपूर्ण होगा। वितरण का एकमात्र प्रकार जो उचित है वह वह है जो व्यक्तियों की स्वतंत्र पसंद पर आधारित हो। नोज़िक का सिद्धांत अधिकारों की अवधारणाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है और संपत्ति के अधिकारों के मामले में स्वतंत्रता ज्यादातर अन्यायपूर्ण पाई जाती है। अत: ऐसी संपत्ति के पुनर्वितरण का प्रयास मात्र [10] है।

न्याय का इस्लामी सिद्धांत

इस्लाम ने कई सिद्धांतों पर जोर दिया है जो समाज के सदस्यों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करते हैं। सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और समृद्धि जैसे बेहद महत्वपूर्ण गुणों के साथ सामाजिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों में से एक। एक विचार के रूप में समानता अधिकार देने और धर्म, जाति, रंग आदि के लिए किसी भी तरह, आकार या रूप में अलगाव के साथ प्रतिबद्धताओं का पालन करने में समानता की ओर इशारा करती है। इस्लाम प्रकृति का एक धर्म होने के नाते यह समझता है कि लोगों को बदलते उपहारों के साथ दुनिया में लाया जाता है। चूंकि उनके शरीर और उनकी विशेषताओं में भिन्नता होती है, इसलिए वे अपनी मनोवैज्ञानिक और विभिन्न क्षमताओं में भिन्न होते हैं। उनकी स्थिति, उनकी स्थितियाँ और उनके विरासत में मिले लाभ अतिरिक्त रूप से भिन्न हैं। ऐसे में आर्थिक संतुलन की कोई संभावना नहीं हो सकती. इस प्रकार, मनुष्यों के बीच आर्थिक असमानताओं का अस्तित्व स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस्लाम धन कमाने में व्यक्तिगत पहल की इजाजत देता है और संपत्ति के निजी स्वामित्व का अधिकार देता है [11]। इस तथ्य को पवित्र कुरान संदर्भित करता है: "हमने दुनिया के जीवन में उनकी आजीविका को उनके बीच बांट दिया है और उपरोक्त में से कुछ को रैंक में बढ़ा दिया है ताकि उनमें से कुछ दूसरों से श्रम ले सकें"। न्याय कुरान में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शब्दों में से एक है: इसका उपयोग वहां एक हजार से अधिक बार किया गया है। इस्लाम में न्याय स्थापित करना जिम्मेदारी है क्योंकि अल्लाह न्याय और कल्याण का आदेश देता है। इस्लाम में सबसे सम्मानित व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक धर्मात्मा है [11]। आय और धन के वितरण में न्याय की इस्लामी अवधारणा के लिए समाज में किसी के योगदान के बावजूद सभी के लिए समान इनाम की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम कुछ असमानताओं को सहन करता है और अलग-अलग कमाई की अनुमति देता है। इस्लाम धन और सत्ता को कुछ हाथों में केन्द्रित करने पर रोक लगाता है क्योंकि इस्लाम सामाजिक कल्याण की व्यवस्था का पक्षधर है। इस्लाम में, एक अमीर आदमी को ज़कात (प्रति सौ रुपये पर 2.50%) और जरूरतमंदों को मक्का (कभी-कभी दान) देना पड़ता है। न्याय की इस्लामी अवधारणा का उद्देश्य धार्मिक नुस्खों के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करना है [12]।

सीमाएँ

यह पेपर न्याय के विचार से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी है। पेपर में कार्यप्रणाली भाग के साथ-साथ आलोचनात्मकता का भी अभाव है। यह पेपर गांधीजी और न्याय के विचार से संबंधित टर्म पेपर के रूप में लिखा गया था। पेपर को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- न्याय मुख्यतः नैतिक दर्शन की समस्या है। राजनीति में, न्याय की अवधारणा का उपयोग सार्वजनिक नीति के मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। न्याय का प्रश्न दो स्थितियों में उठता है
- अभाव की स्थिति में जब वस्तुएँ, सेवाएँ, अवसर आदि सभी प्रतियोगियों को संतुष्ट करने से बहुत डरते हैं।
- एक खुले समाज में जहां विभिन्न लाभों के सभी स्थान विभिन्न व्यक्तियों की निश्चित स्थिति से बंधे नहीं होते हैं।

न्याय की कल्पना उस योजना के कड़ाई से पालन के रूप में की जाती है जिससे न्याय के सिद्धांतों की जांच अप्रासंगिक हो जाती है। फिर, एक काल्पनिक समाज में जहां हर किसी की सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, न्याय और अन्याय का सवाल ही नहीं उठेगा। न्याय एक ऐसी चीज़ है जिसे नैतिक या अनुभवजन्य आधार पर उचित माना जा सकता है। न्याय एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। यह धार्मिकता का एक रूप है. जब लोग बंधन में होते हैं, तो न्याय का तात्पर्य उनके लिए स्वतंत्रता से है। पूर्ण न्याय ईश्वरीय न्याय है और वास्तविक दुनिया में इसे प्राप्त करना कठिन है। वास्तविक व्यवहार में, हमें वह मिलता है जिसे सापेक्ष न्याय के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, न्याय में व्यक्ति को वे सभी अधिकार देना शामिल है जिनका वह हकदार है। न्याय के सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को खुश और संतुष्ट करने के लिए न्यायसंगत आधार पर बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं में उनका वैध हिस्सा प्रदान करना है।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

[1] घोष, बी.एन. गांधीवादी अर्थशास्त्र से परे: एक रचनात्मक विखंडन की ओर। SAGE प्रकाशन भारत, 2012।
[2] कुमार यू.एस. पुलिस, राज्य और समाज: भारत और फ्रांस से परिप्रेक्ष्य। अजय के. मेहरा और रेने लेवी (संस्करण) में, द पुलिस एंड द पीपल: राइट्स एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी इन इंडिया दिल्ली: पियर्सन/लॉन्गमैन, 2011।
[3] भंडारी, डी. आर. प्लेटो की न्याय की अवधारणा: एक विश्लेषण। https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciBhan.htm से लिया गया।
[4] कलन, पी. एक्विनास कानून और न्याय पर: व्यवस्थित समाज में मानव कानून और न्याय का संघर्ष, 2015।
[5] वुड्स, जे. जॉन स्टुअर्ट मिल (1806-1873)। तर्क, 13(3), 317-334, 1999।
[6] टिट, ए.डी. दक्षिण अफ्रीका में सत्य और न्याय के साथ प्रयोग: स्टॉकेनस्ट्रॉम, गांधी और टीआरसी। (2005)। जर्नल ऑफ साउदर्न अफ्रीकन स्टडीज, खंड 31 (2), पीपी. 419-448, 2005।
[7] रिले, जे. पूंजीवाद के तहत न्याय। नोमोस, वॉल्यूम। 31, पृ. 122-162, 1989.
[8] काजी, टी. एम. कार्ल मार्क्स: दूरदर्शी और सामाजिक न्याय के द्रष्टा। काउंटर करंट्स.ओआरजी। https://www.countercurrents.org/qazi050511.htm से लिया गया, 05 मई 2011,
[9] रॉल्स, जे. न्याय का एक सिद्धांत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009।
[10] ऑर्लिट्ज़की, एम. नोज़िक का न्याय का सिद्धांत (डॉक्टरेट शोध प्रबंध, सेज)।

[11] मसरूर। A. इस्लाम सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। न्यू स्टेट्समैन अमेरिका। https://www.newstatesman.com/blogs/the-faithcolumn/2007/05/peace-justice-islam-god से लिया गया, 31 मई 2007,

[12] इंजीनियर, ए. ए. न्याय की अवधारणा। इस्लामाबाद: द डॉन. https://www.dawn.com/news/708249, 05 अप्रैल 2012 से लिया गया।

[13] पलक्कप्पिलिल, जे.पी. सामाजिक न्याय की गांधीवादी अवधारणा। राउटलेज इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ सोशल जस्टिस (पीपी. 65-73) में। रूटलेज। 2014.